भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2709

जिसका उत्तर सोमवार, 9 मार्च, 2026/18 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया गया

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त लोगों के लिए मूल पेंशन में संशोधन

†2709. श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पेंशनभोगियों के लिए 1 नवम्बर, 2022 से मूल पेंशन और महंगाई भत्ते (डीए) में 10 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त लोगों जिनकी मूल पेंशन में लगभग तीन दशकों से संशोधन नहीं किया गया है, की मूल पेंशन में संशोधन करने या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त लोगों की मूल पेंशन में संशोधन की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए भारतीय बैंक संघ और कर्मचारी संघों के साथ विचार-विमर्श शुरु करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): वित्त मंत्रालय ने दिनांक 22.1.2026 के पत्र के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें दिनांक 1.11.2022 से पहले सेवानिवृत्त हुए सभी कर्मचारियों के लिए दिनांक 1.11.2022 से मूल पेंशन और महंगाई राहत में 10% की वृद्धि का प्रावधान है।

जहां तक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) का संबंध है, मंत्रालय ने दिनांक 1.11.2017 से पहले सेवानिवृत्त हुए सभी कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन किया है। उक्त संशोधन दिनांक 1.11.2012 से पहले सेवानिवृत्त हुए लोगों के लिए 1.3.2019 और दिनांक 1.11.2017 से पहले सेवानिवृत्त हुए लोगों के लिए दिनांक 12.6.2023 से प्रभावी है। इसके अलावा, नाबार्ड के दिनांक 1.11.2022 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ): सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और ग्यारह राष्ट्रीयकृत बैंक शामिल हैं। एसबीआई में पेंशन का संचालन भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि विनियम, 2014 द्वारा किया जाता है, जिसे उनके केंद्रीय बोर्ड की स्वीकृति से तैयार किया गया है और राष्ट्रीयकृत बैंकों में, इसका संचालन उनके बैंक (कर्मचारी) पेंशन रेगुलेशन, 1995 द्वारा किया जाता है, जिसे संबंधित बैंकों के बोर्ड की स्वीकृति से तैयार किया गया है। इन विनियमों में पेंशन संशोधन का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, पीएसबी के पेंशनभोगियों को पेंशन पर महंगाई राहत दी जा रही है और इसमें समय-समय पर अर्थात छमाही आधार पर वृद्धि की जा रही है। इसके अलावा, 12वें द्विपक्षीय समझौते/9वीं संयुक्त टिप्पणी की सहमत शर्तों के अनुसार पीएसबी द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन के अतिरिक्त पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को मासिक अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा रहा है, जो दिनांक 31.10.2022 को या उससे पहले पेंशन प्राप्त करने के पात्र हो गए थे।

वर्तमान में संगत पेंशन विनियमों के विद्यमान उपबंधों से परे पीएसबी के सेवानिवृत्तियों की मूल पेंशन में संशोधन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****